भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2648

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2025

एमएसएमई का बंद होना और रोजगार पर प्रभाव

2648. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बंद हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन एमएसएमई के बंद होने के कारण प्रभावित कर्मचारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई के बंद होने के कारणों का कोई आकलन करवाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित व्यवसायों और कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता, पुनः रोजगार कार्यक्रमों और नीतिगत हस्तक्षेप सहित क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए वर्ष 2020 में निवेश और टर्नओवर के युगमित मानदंड पर आधारित एक संशोधित परिभाषा को अपनाया गया था और दिनांक 01.07.2020 को पंजीकरण के लिए, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की गई थी। दिनांक 11.01.2023 को, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों जिन्हें जीएसटी दाखिल करने से छूट मिली है, के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) शुरू किया गया। दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 15.03.2025 तक, यूआरपी और यूएपी पर घोषित 26.09 करोड़ रोजगार सृजन के साथ लगभग 6.13 करोड़ उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद हुए एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। दिनांक 01.07.2020 को निर्धारित परिभाषा में संशोधन के बाद से, वे पंजीकृत कुल एमएसएमई जो बंद हुए हैं, के अनुपात में एमएसएमई की संख्या 0.12% है।

एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना दिनांक 31.03.2023 तक संचालन में थी। आक्समिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर दिनांक 23.01.2023 की भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 98.3% खाते एमएसई श्रेणियों में थे, को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, (एनपीए) श्रेणी में जाने से बचा लिया गया।

एमएसएमई क्षेत्र को सहायता और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सरकार विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन करती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ किफायती ऋण, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता तक पहुंच के उपाय भी शामिल हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस): सीजीएस में 90% तक गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए की सीमा तक के कोलेटरल मुक्त ऋण का प्रावधान है। सीजीएस के तहत एमएसई के लिए प्रदान की गई गारंटियों की संख्या और अनुमोदित गारंटियों की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	वर्ष 2000-01 से वर्ष 2019-2020 तक	वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2024-2025 तक
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	43,53,591	64,81,482
अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)	2,28,704	6,55,987

(ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए क्रमशः 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

(iii) विशेष ऋण लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (एससीएलसीएसएस) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद हेतु संस्थागत वित्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई को 25% सब्सिडी प्रदान करती है।

(iv) पीएम विश्वकर्मा योजना, 18 व्यापारों में अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को, संपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसमें कौशल, आधुनिक टूलकिट, रियायती ऋण सहायता, विपणन सहायता, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

(v) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर-निगमित, गैर-कृषि क्षेत्र के लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है।

(vi) देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों/टूल रूमों के नेटवर्क, एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण एवं कौशल तथा व्यवसाय परामर्श सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में सहायता करते हैं, ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। प्रमाणन स्तरों की बेहतर प्रभावकारिता तथा गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए जेड 2.0 योजना की शुरूआत की गई है। एमएसई को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापार सक्षमता एवं विपणन टीम योजना शुरू की गई है।

(vii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सुनिश्चित बाजार हिस्सेदारी प्रदान करता है। खरीद एवं विपणन सहायता योजना (पीएमएसएस) इन एमएसई को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों, आधुनिक पैकेजिंग तकनीक अपनाने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि में सहभागिता के माध्यम से बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए लाभ प्रदान करती है। पीएमएसएस के विभिन्न घटकों के तहत लाभान्वित उद्यमों की संख्या इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	लाभान्वित उद्यमों की संख्या	व्यय (करोड़ रुपए में)
2020-21	3,276	12.48
2021-22	2,332	5.17
2022-23	22,998	27.49
2023-24	35,000	68.69

बजट 2025, में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए घोषित कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवरेज की राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ii) अच्छा निर्यात कर रहे एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी।

(iii) विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के नए योगदान के साथ एक नई कोष की निधि।

(iv) अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम बार उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए एक नई योजना।

अनुबंध-I

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2648, जिसका उत्तर दिनांक 24.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों (दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 15.03.2025 तक) के दौरान बंद हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एमएसएमई का विवरण और उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		उद्यमों की संख्या	रोजगार	उद्यमों की संख्या	रोजगार	उद्यमों की संख्या	रोजगार	उद्यमों की संख्या	रोजगार	उद्यमों की संख्या	रोजगार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	9	28	12	40	26	70	45	175
2	आंध्र प्रदेश	-	-	113	523	261	1,652	499	2,900	1345	18,901
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	1	4	2	22	-	-
4	असम	-	-	8	89	28	123	47	261	32	219
5	बिहार	18	65	541	2,938	547	3,001	677	6,309	1631	10,811
6	चंडीगढ़	1	2	21	88	8	43	12	41	30	66
7	छत्तीसगढ़	4	27	64	340	134	583	249	3,652	458	2,270
8	दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	-	-	7	65	16	155	28	252	42	206
9	दिल्ली	-	-	210	1,097	470	5,079	203	1,457	135	904
10	गोवा	3	4	5	10	17	38	61	195	84	320
11	गुजरात	67	302	492	2,632	1074	4,843	2307	10,838	3329	14,746
12	हरियाणा	16	40	151	731	404	1,921	842	3,971	259	1,074
13	हिमाचल प्रदेश	2	7	8	32	86	633	38	254	276	1,184
14	जम्मू और कश्मीर	-	-	51	192	121	483	241	869	543	1,982
15	झारखंड	-	-	134	719	251	1,829	365	9,071	648	3,547
16	कर्नाटक	4	8	272	1,295	534	4,205	822	4,437	2156	10,469
17	केरल	2	5	137	563	339	1,181	591	3,090	1135	12,261
18	लद्दाख	-	-	1	2	2	4	3	6	15	34
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

20	मध्य प्रदेश	1	3	112	514	548	2,356	552	6,701	1853	7,989
21	महाराष्ट्र	3	12	1831	8,733	3276	14,313	4800	21,622	9191	45,243
22	मणिपुर	-	-	-	-	62	478	33	240	183	1,028
23	मेघालय	-	-	1	45	1	1	1	8	-	-
24	मिजोरम	-	-	1	4	2	26	5	30	21	103
25	नागालैंड	-	-	1	1	5	34	7	32	16	154
26	ओडिशा	1	1	118	2,912	212	1,170	431	2,877	856	6,067
27	पुडुचेरी	-	-	8	247	39	298	56	235	114	502
28	पंजाब	-	-	208	789	88	1,189	65	304	144	711
29	राजस्थान	11	51	312	1,294	1068	9,021	1682	6,668	3112	25,706
30	सिक्किम	-	-	-	-	1	6	-	-	1	1
31	तमिलनाडु	2	4	591	2,571	1900	9,557	2589	14,088	4658	41,905
32	तेलंगाना	2	10	128	10,749	102	569	220	1,152	1903	11,153
33	त्रिपुरा	-	-	8	23	6	89	10	48	26	143
34	उत्तर प्रदेश	20	86	494	2,536	1110	17,451	1444	11,642	1332	12,538
35	उत्तराखंड	1	3	32	143	202	5,908	234	1,571	415	1,880
36	पश्चिम बंगाल	17	94	153	757	363	2,409	686	3,915	1478	8,592